बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

चलो चलें, ग्राम सभा चलें

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2014-15 की कार्य योजना बनाने हेतु 02-05 अक्टुबर को आयोजित ग्राम सभा का कार्यक्रम

1. इस वर्ष मनरेगा अंतर्गत योजनाओं के चयन हेतु 02 अक्टुबर से 5 अक्टुबर के बीच ग्राम सभा सभी पंचायतों में उक्त पंचायत के मुख्यालय ग्राम में आयोजित की जायेंगी । इससे संबंधित कार्यक्रम का प्रकाशन सभी जिलो के द्वारा सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों पर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2. आप अवगत हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में वार्ड सभा का आयोजन 16.09.2013 से 24.09.2013 तक किया गया है जिसमे संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता तथा विकास मित्र, टोला सेवक, महादलित टोला के झंडोतोलन करने वाले सम्मानीय बुजुर्ग, कार्यरत स्वंय सहायता समूहों के प्रतिनिधियों, पंचायत के सेवानिवृत शिक्षक आदि की सहभागिता से आपने अपने वार्ड के काम के मांग के आकलन (**बेसलाईन सर्वेक्षण** के आलोक में) मनरेगा अंतर्गत अनुमान्य निम्नवत श्रेणी की योजनाओं में से अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का चयन किया है:-

2.1 मनरेगा अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर ली जाने वाली अनुमान्य योजनायें

i. जल संरक्षण और जल शस्य संचय अंतर्गत कन्टूर खाइयां, गैबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध और झरनों का विकास [स्लूइस गेट, चेक डैम, ट्रेंच, वाटर शेड संरचनाएँ आदि]
ii. सूखारोधी, वनरोपण और वृक्षारोपण [भूमि एवं नमी संरक्षण, फलवार एवं इमारती प्रजाति के पौधे लगाना आदि]
iii. सिंचाई नहरें, सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म [नहरों का निर्माण / उड़ाही/ सुदृढ़ीकरण ,सार्वजनिक कूप निर्माण, टयुबवेल चैनेल का निर्माण आदि]
iv. पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, तालाबों का शुद्धिकरण [आहर-पईन खुदाई, जमीनदारी बांधों, सार्वजनिक तालाब निर्माण / सुदृढ़ीकरण/ जीर्णोद्धार आदि]
v. भूमि विकास [भूमि समतलीकरण, मृदा संरक्षण, कटाव रोधी कार्य आदि]
vi. जलरूध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़कें भी है [इसमें एक बसावट से दुसरी बसावट को जोड़ने वाले पथ, बसावट को मुख्य पथ से जोड़ने वाले पथ तथा बसावट के अंदर के पथ लिये जा सकते है बशर्ते की ऐसे पथ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नहीं शामिल हो ।इन पथों में मिट्टी कार्य, ईटकरण, GRAVEL (मोरम) पथ, नाली निर्माण, WBM कलवर्ट निर्माण, तक का कार्य लिया जा सकता है । बसावटों की आंतरिक गलियों मात्र में पी. सी. सी. पथ या सीमेंट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइल्स का उपयोग कर निर्माण कार्य का चयन किया जा सकता है ।
पथों के चयन में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की बसावटों को सर्व प्रथम आच्छादित किया जायेगा । पंचायतें यदि पी. सी. सी. कार्य करना चाहें तो उक्त अनुमान्यता के अतिरिक्त कार्य अन्य मदों से कर सकती है । तदनुसार प्राक्कलन में स्पष्टतः अलग-अलग प्रावधान दर्शायें जायें ।]
viii. ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर एक भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (मनरेगा भवन) का निर्माण ।
ix. सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी संकर्म ।
x. सोक पिट्स (सोख्ता गड्ढे), रिचार्ज पिट्स (वर्षा जल को भूजल में बदलने की सुविधा) जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म ।
xi. विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनवाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म ।

2.2 मनरेगा अंतर्गत निजी भूमि या गृहस्थल पर अनुमान्य कार्य

निम्न श्रेणीयों के जॉब कार्डधारी परिवारों के अपने(स्वामित्व) की भूमि या वास की भूमी पर इस प्राथमिकता क्रम में कार्य अनुमान्य है:-

क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
ग) भूमि सुधार के लाभार्थी (पर्चाधारी)
घ) इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी
ड) लघु या सीमांत कृषकों ।

निजी भूमि पर अनुमान्य कार्यों का विवरण:- [नोट: मानक प्राक्कलन सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराये गये हैं]

I. गृहिस्थयों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई, बागवानी, वृक्षारोपण इत्यादि से संबंधित किये जाने वाले कार्य:-

क) निजी तालाब,
ख) सिंचाई सुविधा (निजी कूप आदि),
ग) बागवानी,
घ) वृक्षारोपण,
ड) मेड़बंधन (खेत बांध),
च) भूमि विकास का उपबंध

ii. कृषि संबंधित कार्य

क) **एनएडीइपी कंपोस्टिंग (NADEP)** (गड्ढे में कृषि अपशिस्ट, गोबर तथा मिट्टी को मिला कर जैव घटक को जैविक तरिके से खाद मिट्टी में बदलना),
ख) वर्मी कंपोस्टिंग (केंचुये का उपयोग कर कृषि अपशिष्ट, गोबर इत्यादि को खाद मिट्टी में बदलना)
ग) लिक्विड बायो-मेन्योर (तरल जैव खाद जैसे जीवामृत, संजीवक, अमृत पानी आदि)

iii. पशुपालन संबंधित कार्य

क) कुक्कुट आश्रय स्थल,
ख) बकरी आश्रय स्थल,
ग) मवेशिओं के लिए पक्का फर्श, यूरीन टैंक तथा नाद का निर्माण
घ) अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक

iv. तटीय क्षेत्रों में

क) मछली शुष्कन (सुखाने) यार्ड,
ख) बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म ।

v. व्यक्तिगत घरेलू पखाने (शौचालय) ।

3. आपके द्वारा चयनित योजनाओं का समेकन कर उनके प्रारूप प्राथमिकता का निर्धारण आपके ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के द्वारा किया गया है। आपके क्षेत्र के माननीय सांसद, विधान मंडल सदस्यों, जिला परीषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, अन्य कार्यान्वयन निकायों/ लाईन विभाग यथा पर्यावरण एवं वन विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग आदि से प्राप्त योजनाओं का भी समेकन इस प्रारूप प्राथमिकता सूची में किया जायेगा ।
4. 02 से 05 अक्टूबर के बीच जिस तिथि को आपके ग्राम पंचायत की ग्राम सभा निर्धारित है, उक्त तिथि को ग्राम पंचायत द्वारा समेकित सूची पर ग्राम सभा विचार करेगी । इनको पंचायत सचिव/ पंचायत रोजगार सेवक द्वारा ग्राम सभा के समक्ष रखा जायेगा । ग्राम सभा में इनको पढकर सुनाया जायेगा और ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों (ग्राम पंचायत के सभी व्यस्क निवासी) से हर योजना की प्राथमिकता सूची पर राय प्राप्त की जायेगी । ग्राम सभा द्वारा इनसे भिन्न योजनाओं को भी शामिल किया जा सकेगा एवं योजना को आवश्यकतानुसार हटाया भी जा सकेगा । ग्राम सभा में अद्यतन मार्गिदर्शका के अनुसार अनुमान्य सभी योजनाओं के बारे में जानकारी पंचायत सचिव/ पंचायत रोजगार सेवक द्वारा अनिवार्यतः दी जायेगी ।
5. ग्राम सभा किसी योजना को जोड़ने, हटाने, संशोधित करने एवं उनकी प्राथमिकता बदलने हेतु सर्वसक्षम है । ग्राम सभा का बहुमत से समर्थन मिलने पर प्रस्ताव मान्य हो जायेगा एवं वह वार्षिक कार्य योजना का भाग हो जायेगा । ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार प्रारूप प्राथमिकता सूची को संशोधित कर ग्राम सभा की अंतिम प्राथमिकता सूची ग्राम सभा में ही पारित की जायेगी ।
6. ग्राम सभा द्वारा इस वित्तीय वर्ष के श्रम बजट के अनुसार ही योजनायें ली जाएं । अधिनियम में हुये अद्यतन संशोधन के आलोक में मजदूरी : सामग्री का क्रमशः 60:40 के अनुपात का संधारण ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लिये पंचायतवार तथा अन्य कार्यान्वयन निकायो के मामले में प्रखंड स्तर पर किया जाना है, जिसका ध्यान योजनाओं के चयन के समय अवश्य रखा जाय । अनावश्यक योजनाओ की सूची लम्बी नही की जाये क्योंकि ऐसा होने पर ग्राम सभा द्वारा पारित अत्याधिक योजनायें कार्यान्वित नही हो पाती हैं जिससे ग्राम सभा की पूरी कार्रवाई अर्थयुक्त नहीं रह जाती है ।
7. निजी जमीन पर कार्य आवंटन में प्राथमिकता सर्वप्रथम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की जमीन पर होगी उसके उपरांत क्रमशः गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, भूमि सुधार के लाभार्थी (पर्चाधारी), इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी तथा लघु या सीमांत कृषकों की जमीन पर ली जाने वाले योजनाओं की है । इसलिये निजी जमीन पर ली जाने वाली योजनाओं के प्रक्षेत्र की प्राथमिकता ग्राम सभा द्वारा तय की जाय ।
8. अनुरोध है कि ग्राम सभा में शामिल होकर काम पाने के हक का उपयोग करें तथा अपने ग्राम के लिये तथा अपने निजी जमीन पर उपयोगी परिसम्पितयों के निर्माण हेतु योजना बनाने में अपनी सहभागिता निभायें ।
9. लाईन विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि वे सुविधानुसार स्वंय ग्राम सभा में भाग लेकर अपने महत्वपूर्ण योजनाओं का वार्षिक कार्य योजना में शामिल करावें ।
10. जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्य सुविधानुसार अपने ग्राम सभा की बैठकों में भाग लें सकते है ।
11. ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी द्वारा ग्राम सभा द्वारा पारितअंतिम प्राथमिकतासूची एवं ग्राम पचायत का» ाम बजट (जो संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा हस्ताक्षरित होगी) को अनुमोदित कर विधिवत कार्यक्रम पदाधिकारी को 07.10.2013 तक उपलब्ध कराया जायेगा ।पंचायत की कार्य योजना में निम्न अभिलेख होंगे, जिन्हें पंचायत रोजगार सेवक कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजेंगे:-
    (i) वार्ड सभा की कार्यवाही पंजी
    (ii) ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अंतिम प्राथमिकता सूची (सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकारकी योजनाएं)
    (iii) श्रम बजट आँकलन पंजी एवं सार ।

इन सभी अभिलेखों की छायाप्रति भेजी जाएगी एवं मूल प्रति पंचायत में रखी जाएगी ।

12. कार्यक्रम पदाधिकारी विहित प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायतों से प्राप्त सूचीयों को समेकित कर पंचायत समितिको प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 14.10.2013 तक उपस्थापित करेंगे ।
13. प्रखंड क्षेत्र के कार्य योजना परविचार हेतु पंचायत समितिकी बैठक दिनांक 23.10.2013 को आयोजित की जायेगी ।
14. पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरोपरांत जिला कार्यक्रम समन्यक को 26.10.2013 तक भेजी जायेगी ।
15. जिला कार्यक्र म समन्वयक दिनांक 15.11.2013 को जिला परिषद की बैठक आयोजित कराकर जिले की कार्य योजना एवं श्रम बजट अनुमोदित करायेंगें ।
16. ग्राम सभा से संबंधित शिकायत/ सूचना टॉल फ्री दूरभाष संख्या-1800-345-2244 पर अथवा लिखित शिकायत/ सूचना ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण कक्ष के फैक्स संख्या - 0612-2217857 पर अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी/ उपविकास आयुक्त/ अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखंडविकास पदाधिकारी/ कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जा सकती है । mgnregsbihar.feedbacks@gmail.com पर भी लिखित शिकायत/ सूचना दी जा सकती है ।

ग्राम सभा की विडियो रिकार्डिंग की जायेगी । इसकी DVD बना कर प्रतियां जिलास्तर पर संधारित की जायेगी ।
उचित शुल्क देकर कोई भी इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक/ अपरजिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है ।

पी.आर.नं. 7346 स.(ग्रा.वि.) 13-14